भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 329*
(16 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा योजना को कृषि क्षेत्र से संबद्ध करना

329*. श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डीः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा) का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु इसे कृषि से संबद्ध करने की योजना बना रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार को किसी राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें मनरेगा योजना के वांछित परिणाम हासिल करने हेतु इस योजना को कृषि क्षेत्र से संबद्ध किये जाने का अनुरोध किया गया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) ऐसे प्रस्ताव पर सरकार का रुख क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क)से (ड.): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 16.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्र.सं. 329 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (मनरेगा) की अनुसूची-। में यह निर्धारित है कि जिला कार्यक्रम समन्वयक इस बात को सुनिश्चित करेगा कि किसी जिले में लागत की दृष्टि से शुरू किए जाने वाले कम से कम 60 प्रतिशत कार्य लाभकारी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए किए जाएंगे जो कि भूमि, जल और वृक्षारोपण विकास के जरिए सीधे कृषि और तत्संबंधी कार्यकलापों से जुड़े होंगे। मनरेगा के अंतर्गत, 260 कार्य अनुमेय हैं जिनमें से 164 कार्य कृषि और तत्संबंधी कार्यकलापों से संबंधित हैं। अधिकांश कार्य भूमि विकास, पौधरोपण, वर्मी कंपोस्टिंग, खाद्यान्न भंडारण, पुश्ता, डग-वेल इत्यादि के जरिए भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हैं।

(ग) और (घ): तेलंगाना राज्य ने कृषि कार्यकलापों को बढ़ावा देने में किसानों की मदद करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) को कृषि क्षेत्र के साथ समेकित करने का अनुरोध किया है।

(ड.): मनरेगा में इस बात पर पहले से ही बल दिया जाता है कि जिला स्तर पर लागत की दृष्टि से कम से कम 60 प्रतिशत कार्य सीधे कृषि और तत्संबंधी कार्यकलापों से जुड़ी लाभकारी परिसंपत्तियों, जिनमें खेत पोखरों, कुओं, मिट्टी के रोक बांधों, फील्ड चैनलों और अन्य जल संचयन संरचनाओं के निर्माण जैसे जल सुरक्षा से संबंधित कार्य शामिल हैं, के सृजन के लिए किए जाएंगे। मनरेगा योजना ग्रामीण गरीबों को आजीविका सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक सहारा देने वाला विकल्प है और न कि यह एक नियमित रोजगार योजना है। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि अमूर्त, मापन के अयोग्य और खर-पतवार, कंकड़ हटाने, कृषि काम-काज जैसे बार-बार किए जाने वाले कार्य मनरेगा के अंतर्गत नहीं किए जाएंगे।